न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 277/2019 (59/2018)

GCMS NO. : 2018/00168

–: वादिया :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. चंचल बेवा ओमप्रकाश जाति– ब्राह्मण निवासी– बैडकलां, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर। 2. हल्का पटवारी, बैडकलां तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादिया।
2. तहसीलदार, जैतारण

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 31/01/2024**

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा किशननगर, पटवार हल्का बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में वादिया के दादी ससुर शंकरलाल पुत्र रामनारायण के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर वादिया का ही 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है एवं बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है। जिसके खसरा नम्बर 23 रकबा 46–04 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0–17 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा है। नकल जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्ती संवत् 2012 से 2031, 2017 से 2020, 2021 से 2024, 2033 से 2036, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067, 2068 से 2071, 2072 से 2075 की नकल वादपत्र के साथ पेश है। वादिया के परिवाद का सजरा खानदान (वंश वृक्ष) दावे में अंकित है। उक्त आराजी की कृषि भूमि खतौनी बन्दोबस्त में वादिया के बड़े दादी ससुर झुमरलाल वल्द रामनारायण के नाम संवत् 2012 से 2031 में दर्ज हुई थी, जो सेटलमेन्ट के समय से आज तक लगातार खातेदारी मे नाम दर्ज है। उक्त वंशवृक्ष के अनुसार सालगराम के तीन जायन्दा संतान हुई थी। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र रामनारायण द्वितीय पुत्र हणुत व तीसरा पुत्र रामलाल उत्पन्न हुऐ थे जो तीनो फौत हो गये और रामनारायण के एक संतान शंकरलाल उत्पन्न हुआ था, जो वह भी फौत हो गया और शंकरलाल के दो संतान झुमरलाल व माणक हुये थे जो झुमरलाल भी नाऔलाद फौत हो गया और माणक के एक संतान पैदा हुई जो ओमप्रकाश है। माणक व ओमप्रकाश दोनों ही फौत हो चुके है। ओमप्रकाश की

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी इसकी पत्नि वादिया चंचल ही है, इसके अलावा अन्य कोई वारिशान नहीं है। वादपत्र मे वर्णित आराजी की भूमि मे वादिया पति के जीवनकाल से ही मौके पर काबिज है और शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है। वादिया के अलावा अन्य कोई वारिशान नहीं है। उक्त आराजी की कृषि भूमि सेटलमेन्ट के समय से झुमरलाल पुत्र रामनारायण का नाम दर्ज हो गयी जो हल्का पटवारी एवं राजस्व अधिकारीयों की गलती से झुमरलाल पुत्र रामनारायण दर्ज हो गया जो गलत है जबकि मौके पर शंकरलाल के दोनों जायन्दा पुत्र झुमरलाल व माणकलाल काबिज थे जो शंकरलाल के दोनों पुत्र झुमरलाल व माणकलाल का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होना चाहिये जो राजस्व अधिकारीयों की गलती से झुमरलाल पुत्र रामनारायण अकेले का नाम दर्ज हो गया और झुमरलाल की वल्दियत में पिता का नाम शंकरलाल की जगह रामनारायण दर्ज हो गया, जो गलत है। सही वल्दियत झुमरलाल पुत्र शंकरलाल के नाम से दर्ज होना चाहये जो स्लीप ऑफ पेन है रोंग एन्ट्री है जरिये दुरुस्ती के दुरूस्त फरमाया जाकर झुमरलाल पुत्र रामनारायण की जगह झुमरलाल पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। वादपत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि में वादिया के बडे ससुर झुमरलाल का नाम दर्ज है जो नाऔलाद करीबन 60-65 वर्ष पूर्व में फौत हो गये इनके कोई जायन्दा संतान नहीं थी और झुमरलाल के सगे भाई माणकजी थे जो सेटलमेन्ट के समय राजस्व अधिकारियों की गलती से माणकजी का मौके पर उक्त आराजी की भूमि मे कब्जा होते हुए भी नाम अमल दरामद नहीं किया। सहवन से माणकलाल का नाम अमल दरामद करने से रह गया था और माणकलाल दिनांक 28/02/1998 को फौत हो गये। इसके एक संतान ओमप्रकाश हुई थी जो वादिया का पति है और ओमप्रकाश भी दिनांक 01/11/1996 को फौत हो चुके है। उक्त तीनों मृतक के वादिया के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार स्वर्गीय झुमरलाल की प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस वादिया चंचल ही है। वादिया का परिवार जो वादपत्र मे दर्शाये वंशवृक्ष सजरा खानदान मे वर्णित परिवार के सदस्य पिछले तीन पीढीयों से परिवार मे नेण पडने के कारण खाने कमाने हेतु महाराष्ट्र नासिक चले गये जो तीन पीढियों से नासिक में ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है और मारवाड़ में अपने ग्राम बैडकलां मे परिवार में शादी विवाह होने, गमी होने पर एवं सामाजिक कार्य होने पर आते-जाते रहते है और उक्त आराजी की कृषि भूमि में बतौर उतराधिकारी के वादिया का 1/3 हिस्से में मालिकाना अधिकार के रूप मे कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है और काश्तकारों को सुपर्द करके खेती करवाती है और सालाना काश्तकार से हांसल प्राप्त करती है। वादिया का परिवार पिछले तीन पीढीयों से महाराष्ट्र नासिक में मजदूरी के उद्धेश्य से रहने के कारण राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी क्योकि पूर्व में वादिया के पति एवं ससुर वादपत्र मे वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि की देखरेख करते थे एवं काश्त करते थे एवं काश्तकारो से काश्त करवाते व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई,
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

हांसल प्राप्त करते थे अब वादिया हांसल प्राप्त करती है। वादिया जनवरी 2018 मे महाराष्ट्र से ग्राम बैडकलां आयी और वादत्र मे वर्णित आराजी जमीन में अपने नाम से फौतेदगी म्युटेशन अमल दरामद करवाने आयी और वादिया ने अपने नाम से फौतेदगी म्युटेशन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रार्थनापत्र एवं इसके साथ शपथपत्र (विरासत) का नोटेरी से सत्यापित करवाकर मृतक माणकलाल, ओमप्रकाश का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं शंकरलाल व झुमरलाल का मृत्यु बाबत् नासिक से शपथपत्र तस्दीक करवाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण के समक्ष दिनांक 15/01/2018 को पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण ने मार्क करके हल्का पटवारी बैडकलां पर लिखा गया कि शपथपत्र मे वर्णित तथ्यो की जाँच करें, तीन रोज में स्पष्ट टिप्पणी करें जो दस्ती वादिया द्वारा हल्का पटवारी बैडकलां को देने के बाद भी किसी तरह की जाँच नहीं की गई। बार-बार निवेदन करने पर भी जाँच नहीं की न ही तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् तहसीलदार, जैतारण को प्रेषित की। वादिया की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र बाबत् घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। वादिया स्वर्गीय झुमरलाल की विधिक वारिस एवं उतराधिकारी है इसलिए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का एवं खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है इसलिए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादिया के स्वर्गीय दादी ससुर माणकलाल व स्वर्गीय पति ओमप्रकाश को कानून की जानकारी नहीं थी। वृद्धावस्था में एवं अनपढ थे, कोई कानूनी कार्यवाही के बारे में नहीं समझते थे और वादिया को कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए सहवन से वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम रोंग एन्ट्री के चलता आ रहा है। इसलिये जरिये दुरूस्ती के झुमरलाल पुत्र रामनारायण की जगह सही नाम झुमरलाल पुत्र शंकरलाल दर्ज किया जाकर इसकी जगह वादिया विधिक वारिस एवं उतराधिकारी होने से वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश फरमावे। वादिया का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नहीं किया गया तो वादिया अपने कानूनी जायज हक हकूको से वंचित रह जायेगी और वादिया को असीम क्षति होगी। वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टिया मामला वादिया के हक मे बखुबी साबित है और सुविधा का सन्तुलन भी वादिया के हक मे साबित होने से यह वादपत्र घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 15/01/2018 को वादिया के नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के कारण पाली से खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति दिनांक 26/02/2018 को प्राप्त करने एवं हल्का पटवारी बैडकलां से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दिनांक 23/10/17 को प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम बैडकलां में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से पेश किया जा रहा है।

(श्रवण कुमार बिश्नोई,
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.05.2018 के अनुसार झुमरलाल पुत्र शंकरलाल ने अपने भाई माणकलाल के पुत्र ओमप्रकाश को सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया था। कानून की जानकारी के अभाव में गोदपुत्र पंजीकृत नहीं कराया था। चंचल ओमप्रकाश की पत्नि है जिनके द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। जवाब दावा के साथ प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार झूमरलाल के सगे भाई माणकलाल के पुत्र ओमप्रकाश को झूमरलाल ने सामाजिक रीति रिवाज से गोद ले लिया था रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। अब ओमप्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वाद ओमप्रकाश की पत्नी चंचल द्वारा किया गया है।

प्रकरण में विवाद्यक कायम की जाकर उभयपक्ष को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य वादिया PW-1 व साक्ष्य अन्य गवाह श्यामलाल पुत्र जसराज PW-2, भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह PW-3 सम्पन्न कि गई व जिरह की गई। दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। पत्रावली पर अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी कार्यवाही एवं आदेशार्थ लम्बित नहीं होने से प्रकरण में वादिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी। वकील वादिया ने लिखित बहस के साथ न्यायिक नजीर प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है–

1. RRD 1997 पेज नम्बर 504 (राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर) पूसा राम बनाम राजस्व मण्डल व अन्य।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया एवं सरकारी पैरोकार पर मनन किया गया। संगत विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक नजीर का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:–

1. आया वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि झुमरलाल पुत्र रामनारायण त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि है। सही नाम झुमरलाल पुत्र शंकरलाल है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावे ?

जिम्मे वादिया

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादिया की है। यह विवाद्यक साबित करने के लिए वादिया द्वारा माणकलाल पुत्र शंकरलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र (प्रदर्श–32ए), ओमप्रकाश पुत्र माणकलाल बिवाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र (प्रदर्श–33ए), वादिया चंचल का आधार कार्ड (प्रदर्श–31ए), शंकरलाल व झुमरलाल की मृत्यु के संबंध में 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रतिज्ञा पत्र (प्रदर्श–34) एवं लक्ष्मीनारायण राव द्वारा लिखी कुर्सीनुमा वंशावली बही (प्रदर्श–35ए) प्रस्तुत की गई। उक्त प्रदर्श दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादिया के पति का नाम ओमप्रकाश है एवं ओमप्रकाश के पिता का नाम माणकलाल है। माणकलाल के पिता का नाम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

शंकरलाल होना दस्तावेजों से साबित होता है। परन्तु वादिया द्वारा इस विवाद्यक में झुमरलाल पुत्र रामनारायण की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण साबित करने हेतु प्रतिज्ञा-पत्र एवं राव की वंशावली बही प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं किये गई है जिससे साबित हो सके कि झुमरलाल पुत्र रामनारायण त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। वादिया द्वारा झुमरलाल पुत्र शंकरलाल सही प्रविष्टि साबित करने हेतु केवल सशपथ कथन ही किये है एवं राव की बही प्रस्तुत किया है जिन्हें विश्वसनीय सबूत नहीं माना जा सकता है। अतः उपर वर्णित विवेचन एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर यह विवाद्यक वादिया चंचल पत्नी ओमप्रकाश के विरूद्ध साबित होता है।

2. आया वादिया झुमरलाल पुत्र शंकरलाल की एक मात्र विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार के रूप में घोषणा करवाने की अधिकारी है?

जिम्मे वादिया

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादिया की है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 वादिया के विरूद्ध साबित हुआ है, जिसमें वादिया यह साबित करने में असफल रही है कि झुमरलाल, रामनारायण का पुत्र न होकर शंकरलाल का पुत्र है। ग्राम बैडकलां की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012-2031 (प्रदर्श-27) में खसरा संख्या 23 के लिए जुमरलाल वल्द रामनारायण 1/6 एवं खसरा संख्या 33 के लिए जुमरलाल का इन्द्राज पाया गया। खसरा संख्या 23 के लिए जमाबंदी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-1), संवत् 2021-2024 (प्रदर्श-3), संवत् 2033-2036 (प्रदर्श-5), संवत् 2037-2040 (प्रदर्श-8), संवत् 2042-2045 (प्रदर्श-10), संवत् 2046-2049 (प्रदर्श-12), संवत् 2050-2053 (प्रदर्श-14), संवत् 2052-2055 (प्रदर्श-16), संवत् 2056-2059 (प्रदर्श-18), संबत् 2060-2063 (प्रदर्श-19), संवत् 2064-2067 (प्रदर्श-21), संवत् 2068-2071 (प्रदर्श-23) एवं संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-25) के अवलोकन से स्पष्ट है कि झूमरलाल पुत्र रामनारायण नाम अन्य सह-खातेदारों के साथ दर्ज है। उक्त किसी भी जमाबंदी में झूमरलाल को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किया गया है एवं खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012-2024 के अनुसार खसरा संख्या 23 के लिए झूमरलाल पुत्र रामनारायण 1/6 हिस्से का खातेदार दर्ज है। अतः उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि झूमरलाल वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 23 के लिए 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होना साबित नहीं होता है। खसरा संख्या 33 के लिए जमाबंदी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-2), संवत् 2021-2024 (प्रदर्श-4) एवं संवत् 2033-2036 (प्रदर्श-6) में झूमरलाल पुत्र रामनारायण 1/2 हिस्से का 1/6 वां हिस्से का खातेदार दर्ज है। संवत् 2037-2040 (प्रदर्श-7), संवत् 2042-2045 (प्रदर्श-9), संवत् 2046-2049 (प्रदर्श-11), संवत् 2050-2053 (प्रदर्श-13), संवत् 2052-2055 (प्रदर्श-15), संवत् 2056-2059 (प्रदर्श-17) एवं संवत् 2060-2063 (प्रदर्श-20) के लिए झूमरलाल पुत्र रामनारायण कचरू पुत्र किशना

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सिवाणा

1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज है। संवत् 2064-2067 (प्रदर्श-22), संवत् 2068-2071 (प्रदर्श-24) एवं संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-26) में झूमरलाल पुत्र रामनारायण कमला पत्नी पुरूषोतमराज कौम ब्राह्मण अन्य सह खातेदार के साथ 1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज है। अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि झूमरलाल अन्य सह खातेदार के साथ खसरा संख्या 33 के लिए खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं झूमरलाल का वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 33 में 1/3 हिस्सा होना साबित नहीं होता है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी ग्राम किशननगर संवत् 2076-2079 खसरा संख्या 23 एवं 33 में झूमरलाल पुत्र रामनारायण अन्य सह-हिस्सेदारों के साथ खातेदार दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के प्रदर्श दस्तावेजों से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि झूमरलाल वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। वादिया द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मीनारायण राव की वंशावली बही (प्रदर्श-35ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि जगाराम जी के दूसरी पत्नी के वंश में शामिल झूमरलाल पहली पत्नी के वंश के अन्य व्यक्ति जो वादग्रस्त आराजी में सह-खातेदार के रूप में दर्ज है के साथ किस प्रकार वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने के काबिल है, यह वादिया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर पाई है। इस सम्बन्ध में वादिया ने केवल कथन मात्र किये है। अतः उपर वर्णित विवेचन एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर यह विवाद्यक वादिया चंचल पत्नी ओमप्रकाश के विरूद्ध साबित होता है।

3. आया शंकरलाल के फौत होने, शंकरलाल के पुत्र झूमरलाल के नाऔलाद फौत होने एवं शंकरलाल के पुत्र माणक एवं वादिया के पति ओमप्रकाश नाऔलाद फौत हो जानें से वादिया एकमात्र विधिक वारिसान है?

जिम्मे वादिया

चूंकि पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थिया के विरूद्ध साबित हुए है एवं यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 के अनुसार वादिया यह साबित करने में विफल रही है कि झूमरलाल, रामनारायण का पुत्र न होकर शंकरलाल का पुत्र है। पत्रावली में उपलब्ध गवाह भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह के बयान में सरकारी पैरोकार की जिरह के समय गवाह ने सशपथ कथन किया कि झूमरलाल अविवाहित है एवं प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा में फर्द मौका रिपोर्ट में कथन किया कि झूमरलाल की पत्नी भी फौत हो चुकी है। झूमरलाल के कोई जायन्दा पुत्र-पुत्री नहीं है। वादिया द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र (प्रदर्श-30) में झूमरलाल की पत्नी रतनबाई बताई गई और झूमरलाल को नाऔलाद फौत बताया गया। इस प्रकार वादिया के पक्ष में बयान देने वाले गवाह की जिरह स्वयं वादिया के कथनों एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के कथनों से मिलान नहीं होने से वादिया के गवाहों के बयान इस विवाद्यक को साबित करने में सम्पूर्ण नहीं माने जा सकते है। शंकरलाल का पुत्र झूमरलाल है, इस बात को साबित

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) राज० जैतारण

करने के लिए भी वादिया ने किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से केवल यह साबित किया जा सकता है कि शंकरलाल का पुत्र माणकराम है एवं माणक का पुत्र ओमप्रकाश है एवं ओमप्रकाश की विधिक वारिस वादिया है। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार यह पूर्ण रूप से साबित नहीं किया जा सकता है कि झूमरलाल के नाऔलाद फौत होने पर शंकरलाल के विधिक वारिस वादिया चंचल है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार माणकराम का पुत्र ओमप्रकाश है परन्तु यह साबित नहीं होता है कि माणकराम का विधिक वारिस केवल वादिया का पति ओमप्रकाश ही है, अन्य कोई वारिस नहीं है। इस तथ्य को साबित करने के लिए भी वादिया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, केवल कथन मात्र ही किये है। अतः उपर वर्णित विवेचन एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर यह विवाद्यक वादिया चंचल पत्नी ओमप्रकाश के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित नहीं होने से वादिया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वादिया द्वारा वाद–पत्र में वर्णित सजरा खानदान (वंश वृक्ष) सही एवं सत्य है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार शंकरलाल पुत्र रामनारायण वादिया के दादी ससुर है ?

जिम्मे वादिया

चूंकि पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 1,2 व 3 प्रार्थिया के विरूद्ध साबित हुए है एवं यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 के अनुसार वादिया यह साबित करने में विफल रही है कि झूमरलाल, रामनारायण का पुत्र न होकर शंकरलाल का पुत्र है एवं विवाद्यक संख्या 3 में वादिया यह साबित करने में विफल रही है कि शंकरलाल के नाऔलाद फौत होने एवं शंकरलाल के पुत्र माणक एवं माणक के पुत्र ओमप्रकाश के फौत होने पर एक मात्र विधिक वारिस वादिया चंचल है। इस विवाद्यक को साबित करने के लिए वादिया द्वारा लक्ष्मीनारायण राव द्वारा तैयार वंशावली की बही (प्रदर्श–35) प्रस्तुत किया गया। चूंकि राव द्वारा तैयार बही केवल कथन मात्र ही मानी जा सकती है, इसको विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा वादिया ने लिखित बहस, वादपत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र व अन्य शपथ पत्र में इस सम्बन्ध में केवल कथन मात्र ही किये है, परन्तु विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादिया द्वारा बताया गया सजरा खानदान सही होना साबित हो सके। शंकरलाल पुत्र रामनाराण वादिया के दादी ससुर है इस सम्बन्ध में वादिया ने केवल राव की बही, वादपत्र एवं लिखित बहस में केवल कथन मात्र किये है, कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उपर वर्णित विवेचन एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर यह विवाद्यक वादिया चंचल पत्नी ओमप्रकाश विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

5. **दादरशी** – उपर्युक्त पूर्व निर्णित एवं विवेचित विवाद्यक संख्या 1 से 4 के द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा में उल्लेखित समस्त विवाद्यक विषयों को विवेचित एवं

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

निर्णित किया जा चुका है. तथा वांछित अनुतोष के संबंध में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा चुका है। अतः हमारे विद्वम अभिमत में अन्य कोई विवाद्यक विषय शेष नहीं है।

उपर्युक्त विवाद्यक वार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम तो वादिया यह साबित करने में विफल रही है कि झुमरलाल, रामनारायण का पुत्र न होकर शंकरलाल का पुत्र है एवं माणकराम का भाई है। झुमरलाल के एक मात्र वारिस वादिया चंचल है और वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार के रूप में घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादिया वादपत्र में वर्णित सजरा खानदान को पूर्ण रूप से साबित करने में भी विफल रही है। अतः ऊपर विवेचन विवाद्यक एवं दस्तावेजों के आधार पर वादिया का वाद भली भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादिया अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सरहद मौजा किशननगर, पटवार हल्का बैठकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 23 रकबा 7.4786 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा के लिए वादिया का अनुतोष वादिया के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**
बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

–: वादी :–	बनाम	**–: प्रतिवादी :–**

1. चंचल बेवा ओमप्रकाश जाति– ब्राह्मण निवासी– बैडकलां, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।

बनाम

1. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।
2. हल्का पटवारी, बैडकलां तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु०न० :रा०वा०स०– 277/2019 (59/2018)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुद्दई व श्री तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा किशननगर, पटवार हल्का बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 23 रकबा 46–04 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0–17 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा के लिए वादिया का अनुतोष भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/01/2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज०)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	1.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।